प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला ।

सेवा में

रजिस्ट्रार,
1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत।
3. चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
4. चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी।
4. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, सिरसा।
5. श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी)।
6. वाई0एम0सी0ए0 युनिवर्सिटी ऑफ साईस एंड टैक्नोलॉजी, फरीदाबाद।
7. गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार।
8. चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

यादि क्रमांक 3/18–2008 छा0(2)
दिनांक, पंचकूला 14.7.2017

विषयः **अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं से दाखिले के समय फीस/फण्डस न लेने बारे।**

*******

14/7/17

मुझे निर्देश हुए हैं कि सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी फीस/फण्डस न लेने बारे जारी हिदायतों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊं। राज्य में स्थित सभी अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय तथा स्वपोषित डिग्री महाविद्यालय के छात्रों से प्रवेश के समय फीस/फण्डस तथा अन्य यूनिवर्सिटी चार्जिज जैसे कि enrollment, registration fee, tutuion fee, games, union, library, magazine, medical/examination व अन्य जरूरी फण्डस (जो संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदत हैं) न लिये जायें।

उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा मांग की जा रही है कि उनसे सरकार द्वारा छात्रवृति का भुगतान होने तक विश्वविद्यालय की पंजीकरण फीस इत्यादि न ली जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि जो अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राएं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत कवर होते है, केवल उन छात्र/छात्राओं की कोई पंजीकरण फीस इत्यादि सितम्बर मास तक न ली जाए।

Kuldeep M 14/7/17

उप निदेशक छात्रवृति,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला